209 जेएल/22-3-2025-ई- 1684459

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02-05-2025

विषयः- जिला कारागार, सोनभद्र में निरूद्व सिद्वदोष/विचाराधीन बन्दी प्रवेन्द्र पुत्र श्री प्रताप को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-17029/सामा-1(5)/एम0-18/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 15-04-2025, पत्र सं0-18038/सामा-1(5)/एम0-18/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 26-04-2025 एवं पत्र सं0-18717/सामा-1(5)/एम0-18/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 01-05-2025 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, सोनभद्र में निरूद्व सिद्वदोष/विचाराधीन बन्दी प्रवेन्द्र पुत्र श्री प्रताप को जिला कारागार मुजफ्फरनगर में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर/सोनभद्र।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर/सोनभद्र।
6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,जिला कारागार, मुजफ्फरनगर/सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।